हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

<u>कार्यसूची</u>

चौदहवां सत्र

वीरवार, 2 मार्च, 2017/11 फाल्गुन, 1938(शक्)

<u>11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:</u>

(1) **श्री महेश्वर सिंह**, दिनांक 18 फरवरी, 2017 को अमर उजाला समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "**शहर में कुत्ते ने दौड़ाए लोग आधा दर्ज़न अस्पताल पहुंचे**", से उत्पन्न स्थिति की ओर **शहरी विकास मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री गुलाब सिंह ठाकुर**, दिनांक 28 फरवरी, 2017 को पंजाब केसरी समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "**द्रुब्बल में घर से बकरियां चराने निकला युवक लापता**", से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

3. <u>अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2016-2017:-</u>

(1) सामान्य चर्चा ।

(2) वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) पर चर्चा, मतदान एवं उनका पारण।

4. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्यांक 1)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्यांक 1)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 1 मार्च, 2017 **सचिव ।**

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)